न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 197/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती पेंपों देवी पत्नी स्व. जयरूपाराम 2. सुश्री ललिता पुत्री स्व. जयरूपाराम 3. सुश्री पूजा पुत्री स्व. जयरूपाराम 4. आरती पुत्री स्व. जयरूपाराम 5. खुशी पुत्री स्व. जयरूपाराम 6. देवीका पुत्री स्व. जयरूपाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती पेंपोदेवी जाट निवासी– दुध डेयरी के पीछे, बालोतरा, तहसील पचपदरा, बाडमेर।		1. प्रेमाराम पुत्र लालाराम जाट निवासी– शुभदण्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2. गोपालकृष्ण पुत्र स्व. जयरूपाराम जाट निवासी– शुभदण्ड तसहील लूणी जिला जोधपुर। 3. तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.02.2022 जो तहसीलदार, पचपदरा, जिला बाडमेर के द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण संख्या 03/2021 प्रेमाराम बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रामेश्वर दवे, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2,की ओर से।

3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17 जुलाई, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पति/पिता श्री जयरूपाराम की स्वअर्जित सम्पति तहसील पचपदरा में आई हुई है और उन पर उनका कब्जा काश्त जीवनभर रहा तथा अपीलार्थीगण भी उनके साथ काबिज रहे है। श्री जयरूपाराम का दिनांक 2.10.2019 को देहान्त हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई वसीयत अथवा गिफ्ट डीड निष्पादित नहीं की व निर्वसयीत फौत हो गये। श्री जयरूपाराम के द्वारा दो विवाह किये गये। प्रथम पत्नि के फौत होने पर दूसरा विवाह श्रीमती पेपों देवी से किया। जयरूपाराम के पहली पत्नि से एक पुत्र गोपालकृष्ण, व तीन पुत्रियां भंवरी, मन्दी, सुशीला हुई तथा दूसरी पत्नी से पांच पुत्रियों का जन्म हुआ जिसमें से ललिता के अलावा सभी नाबालिग है।

श्री जयरूपाराम के देहान्त उपरान्त दिनांक 13.8.2020 को अपीलार्थी संख्या एक के द्वारा फौतेदगी का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उस पर तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। रेस्पो0 संख्या एक यानि पेंपोदेवी का सगा देवर प्रेमाराम के द्वारा जयरूपाराम के देहान्त उपरान्त जयरूपाराम की ओर से अपने पक्ष में फर्जी व कुटरचित तरीके से एक वसीयतनामा दिनांक 14.9.2019 का निष्पादित होना बताकर तहसीलदार महोदय के समक्ष नामान्तकरण स्वीकृति हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर तहसीलदार के द्वारा उसी दिन

क्षेत्राधिकार से परे जाकर जयरूपाराम की सम्पति से अपीलार्थीगण को वंचित करते हुए रेसपो0 सख्या एक प्रेमाराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दीवानी न्यायालय में प्रेमाराम के वाद प्रस्तुत किये जाने व तथाकथित वसीयत की प्रति प्रस्तुत करने व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 26.4.2021 को हुई। तब अपीलार्थीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नकले प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर सुनवाई करते हुए निर्णित की जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरित पारित किया गया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जयरूपाराम की ओर से रेसपो0 संख्या एक के पक्ष में सादे कागज पर फर्जी व कुटरचित वसीयत को ही सही व सत्य मान लिया और उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान को उनके हकहितों के विरूद्ध जाकर प्रेमाराम के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस यानि जयरूपाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान को नोटिस जारी किये गये परन्तु तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट की कि मकान बन्द है आसामी बाहर तथा नोटिस की प्रति चस्पा की गई जिस पर दो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये उसके बावजूद भी तामील को पर्याप्त मान लिया गया। इसके अतिरिक्त जयरूपाराम के देहान्त उपरान्त उनका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रेमाराम की ओर से प्रस्तुत फर्जी व कुटरचित वसीयत के आधारपर विधि विरूद्ध तरीका अपनाकर रेसपों0 संख्या एक के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी गई जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को अपंजीकृत व सादे कागज पर बिना नोटेरी तस्दीक प्रस्तुत की गई फर्जी वसीयतनमों के सम्बन्ध में फाईडिंग देने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सकता था। उक्त वसीयत को जब तक सिविल न्यायालय के द्वारा सही व गलत होने की घोषणा बाबत निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जाती तब तक वह अवैध व शून्य ही मानी जावेगीं। राजस्व न्यायालयों को ऐसे लेखिय पत्रों की घोषणा बाबत कोई अधिकार निहित नहीं है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो तहसीलदार महोदय की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न खडे करता है और रेस्पोडेन्ट व तहसीलदार की मिलीभगती

प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त जयरूपाराम स्वयं डीड राईटर थे जो बेचाननामें, इकरारनामें, वसीयत व बक्शीशनामें की पूर्ण समझ रखते थे, विधि की सम्पूर्ण जानकारी उन्हें थी ऐसे में तथाकथित वसीयत को देखने से ही आभास होता है कि उक्त वसीयत जयरूपाराम के द्वारा न तो लिखी गई व न ही उस पर जयरूपाराम के हस्ताक्षर किये हुए है और न ही स्वतंत्र गवाहान का कोई नाम व पता व उम्र लिखी हुई है तथा न ही वसीयत नोटेरी से तस्दीकशुदा है। ऐसे में वसीयत की घोषणा के वाद में ही इस प्रकार की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है परन्तु तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने सम्बन्धी राज्य सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी की हुई गाईडलाईन को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अन्त में यह भी कथन किया कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें तथा जयरूपाराम पुत्र लालाराम के नाम ग्राम मण्डापुरा के खसरा संख्या 1329/851 व 1331/851 में अपीलार्थीगण व जयरूपाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील में आधारहीन व सारहीन तथ्य अंकित किये गये है जो अस्वीकार करने योग्य हैं क्योंकि अपीलार्थीगण के द्वारा मुझ रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत को फर्जी बताया जा रहा है जबकि श्री जयरूपाराम के द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत मेरे पक्ष में की गई है जिन्हें अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में करने का पूर्ण अधिकार था।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्री जयरूपाराम के द्वारा उक्त वसीयत रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अपने देहान्त की दिनांक 2.10.2019 से पहले ही निष्पादित कर थी। राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैधता जॉचने के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिये गये है, उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उन्हें नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी ही होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य में वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं माना गया है, वसीयतकर्ता अपनी वसीयत सादे कागज पर दो स्वतंत्र गवाहों के सामने निष्पादित कर सकता है और ऐसी वसीयत को नोटेरी से तस्दीक करवाना भी आवश्यक नहीं माना गया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत वसीयत में अंकित दो स्वतंत्र गवाहों को तलब कर उनसे वसीयत पर किये गये गवाह हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जानकारी ली तब दोनों गवाहों के द्वारा उक्त वसीयत को सही होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आम सूचना भी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्री जयरूपाराम के पुत्र गोपालकृष्ण के द्वारा भी उक्त वसीयत अनुसार रेस्पोडेन्ट प्रेमाराम के हक में नामान्तकरण होने पर किसी प्रकार की आपत्ति व उज्र एतराज नहीं किया गया। अगर अपीलार्थीगण को उक्त निष्पादित वसीयत के गलत व अवैध होने का अंदेशा है तो उन्हें सिविल न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर करते हुए वसीयत की वैधता को चुनौती देकर चाराजोही करनी चाहिये थी।

अपीलार्थीगण को उक्त निष्पादित वसीयत के गलत व अवैध होने का अंदेशा है तो उन्हें सिविल न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर करते हुए वसीयत की वैधता को चुनौती देकर चाराजोही करनी चाहिये थी।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी अपील में जयरूपाराम की अन्य तीन पुत्रियों को पक्षकार तक नहीं बनाया गया है जिससे उनकी अपील पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तकरण दायर किये जाने बाबत राज्य सरकार, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी गाईडलाईन, राज0 भू राजस्व अधिनियम में प्रदत प्रावधानों के तहत विधिक प्रकिया सम्पादित करते हुए ही रेस्पोडेन्टस के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये गये यथा आरआरटी 2002(2) पेज 786, आरआरडी 2007 पेज 375, आरआरडी 1984 पेज 391, आरबीजे 1997 (4) पेज 308

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये कथनों के अनुसार अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत प्रकरण संख्या 03/2021 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) में सिर्फ तहसीलदार को ही पार्टी बनाया गया है। इसमें हितबद्ध जैरूपाराम की पत्नि व संतानों को पार्टी नहीं बनाया गया है, नतीजन जयरूपाराम के परिजनों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालय में प्रदान नहीं किया गया है वसीयत के अवलोकन से यह पाया है कि तथाकथित वसीयत श्री जैरूपाराम की मृत्यु दिनांक 2.10.2019 से लगभग 18 दिन पहले यानि दिनांक 14.9.2019 को निष्पादित किया जाना बताया जो सादे पेपर पर है। इस प्रकार वसीयत न तो प्रोपर स्टाम्प पेपर पर है न ही नोटेरी/ओथ कमिशनर से तस्दीक है व न ही रजिस्टर्ड है। वसीयत के साक्षी भी जैरूपाराम के परिजन नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 1.2.2022 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर खरा नहीं उतरता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 17 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त